न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 775/2024

आईदानराम पुत्र मुकनाराम व अन्य
बनाम
राज0 राज्य जरिये तहसीलदार सेड़वा (बाड़मेर)

दिनांक 4.11.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा (बाड़मेर) द्वारा अंतर्गत धारा 131, 132, 136 आरएलआर एक्ट के तहत पारित आदेश कमांकः राजस्व/2025/439 दिनांक 01.10.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्राथी–जोराराम पुत्र हरिराम विश्नोई की ओर से जरिये अधिवक्ता केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसील सेड़वा स्थित ग्राम शौभाला दर्शान के खसरा नम्बर 340 रकबा 2.2662 हैक्टर भूमि में से 0.0242 हैक्टर भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लट्ठा) ट्रेस में दुरूस्ती करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त खसरान की भूमि अपीलार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त कृषि भूमि है, जो बिना किसी मुआवजे के वंचित व बेदखल हो रहे है। उक्त प्रस्ताव ग्रा0पं0 शोभाला दर्शान की मांग पर तहसीलदार सेड़वा के आवेदन व अनुशंशा पर अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में कदीमी रास्ता बताते हुए पारित करवा लिया गया है, जबकि मौके पर कोई रास्ता चलायमान नही है और न ही प्रस्तावित स्थल पर रास्ता दर्ज करने की कोई आवश्यकता है। क्योंकि उक्त खसरान के चिपते प्रस्तावित रास्ते से लगती गै0मु0 आबादी भूमि है, जो चारों तरफ से सड़क मार्ग एवं अन्य मार्गो से जुड़ी हुई है। तहसीलदार का आवेदन कार्यालय में उपलब्ध रेकर्ड से भिन्न तथ्यों पर आधारित है। प्रकरण में अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही उसकी सहमति ली गई। आवेदन सेटलमेंट की कार्यवाही संवत् 2012 में पूर्ण होने के 65 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विलंब का कोई कारण नही बताया गया है। अपीलाधीन आदेश राज0 भू राजस्व (भूअभिलेख) के नियम 58(3) के अनिवार्य प्रावधानों की अनदेखी कर एकतरफा पारित किया गया है। तहसीलदार को भू

4/11.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अर्जन की सम्यक प्रकिया अपनाये बिना अपीलाधीन भूमि को रास्ते में परिवर्तन करवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार नही है, इस कारण उक्त आवेदन पोषणीय नही है। राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 के तहत खातेदारी भूमि से खातेदारी अधिकार, खातेदार की सहमति के बिना समाप्त करने के प्रावधन नही है। अतः अपील स्वीकार कर विधिविरूद्ध पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में केवियटर अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि उक्त रास्ता ग्रा0पं0 शौभाला दर्शान के प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 17.9.25 के कम में तहसीलदार सेड़वा के पत्र कमांक 506 दिनांक 19.9.25 द्वारा प्रस्तावित किया गया। जो ग्राम शौभाला दर्शान की 100–110 रहवासी ढाणियों को ग्राम पंचायत मुख्यालय से जोड़ता है। मौके पर सी.सी. सड़क व कदीमी रास्ता चल रहा है। जो गुल्लेकीबेरी से विश्वकर्मा नगर जाने वाली मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है व उप स्वास्थ्य केन्द्र शौभाला दर्शान को सड़क से जोड़ता है। मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 17.9.25 में व्यापक जनहित के दृष्टिगत उक्त निजी खातेदारी भूमि में से परम्परागत चालू स्थाई रास्ते की गै0मु0रास्ते के रूप में दर्ज राजस्व अभिलेख/आवंटन किये जाने उचित होने का उल्लेख है। अपीलाधीन आदेश राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.8.16 एवं 30.9.21 तथा विधिक नियमों एवं प्रावधानों के तहत पारित किया गया। अपीलार्थीगण यदि उक्त प्रकरण में अपनी सुनवाई चाहता है, तो इसे अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने में उसे कोई आपत्ति नही है।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया' जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही ग्रा0पं0 शौभाला दर्शान की मांग एवं तहसीलदार सेड़वा के प्रस्ताव पर की गई है। अपीलांट का कथन है कि उक्त खसरान के चिपते प्रस्तावित रास्ते से लगती गै0मु0 आबादी भूमि है, जो चारों तरफ से सड़क मार्ग एवं अन्य मार्गो से जुड़ी हुई है। तहसीलदार का आवेदन कार्यालय में उपलब्ध रेकर्ड से भिन्न तथ्यों पर आधारित है। मौके पर कोई रास्ता चलायमान नही है और न ही प्रस्तावित स्थल पर रास्ता दर्ज करने की कोई आवश्यकता है। प्रकरण में अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया

जोधपुर

गया और न ही उसकी सहमति ली गई। अतः दोनो पक्षों की सहमति से अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए, प्रकरण अपीलांट्स की सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर, उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांकः राजस्व/2025/439 दिनांक 01.10.2025 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं संबंधित खातेदारों/सह–खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 4.11.25. को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर फैसल शुमार की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

4/11/25.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर